

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली जिला उदयपुर

प्रार्थी :- भगवतसिंह राजपूत

विपक्षी :- राज्य

किस्म मुकदमा :- 88 आरटीएक्ट

पत्रावली संख्या :- 206/25 वाद

जीसीएमएस नम्बर :- 2025/429

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पाटी तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p>दिनांक : 03.02.2026 पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार मावली की रिपोर्ट प्रस्तुत हो चुकी है। तहसीलदार घासा द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया की ग्राम वाडा वावडी की वर्तमान जमाबन्दी के खाता संख्या 296 खसरा नम्बर 3 से 12 किता 10 कुल रकबा 20.0806 हैक्टेयर भूमि पर सभी काश्तकार पर माननीय न्यायालय भू-प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर के मु.न. 223 से राजस्व रेकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखे तथा सभी काश्तकार पर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के वाद संख्या 2018/52 का नोट लगा हुआ है।</p> <p>न्यायालय का विनम्र अभिमत है की प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया की ग्राम वाडावावडी में वर्तमान खाता संख्या 296 में किशनसिंह, पेमसिंह, पुष्पाकुंवर, मनोहरसिंह, महेन्द्रसिंह, लालसिंह, हरीसिंह, हिम्मतसिंह, हिमांशु के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। जबकि मेरे पिताजी जोधसिंह पिता किशोरसिंह राजपुत का नाम अंकित नहीं हुआ। न्यायालय का मानना है कि तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाता संख्या 296 के संबंध में माननीय न्यायालय भू-प्रबंध अधिकारी एवं पदने राजस्व अपील अधिकारी के मु.नत्र 223 से राजस्व रेकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखने संबंधी नोट लगा हुआ है तथा सभी काश्तकार पर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के वाद संख्या 2018/52 का नोट लगा हुआ है। ऐसे में स्पष्ट है कि उक्त भूमि के संबंध में पूर्व में विवाद विचाराधीन होकर माननीय अपीलीय न्यायालय का स्थगन जारी है। इसलिए उक्त खाते में न्यायालय हाजा द्वारा किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है तो माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश की अवहेलना होगी। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।</p> <p>(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी मावली</p>	

